



# राजस्थानीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक / 46 / कोटा / 2002-2003

यह प्रमाणित किया जाता है कि आसीफ़ खान सिंह शंभूधर शर्मा नगपुर अंचल जिला - कोटा का राजस्थान संस्था राजस्थानीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत राजस्थानीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 12 माह 06 सन् 2002 को कोटा में दिया गया।

डी० एस० खिसोदिया

राजस्थान

संस्थापक कोटा (राजस्थान)

